

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

राजकीय अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)
करण संख्या:- 21/2006

दायर दिनांक:- 06.06.2007

जीसीएमएस नं. 2006/00075

उनवान

रामेश्वर पुत्र रामकिशन जाति जाटव निवासी मूडिया का पुरा तहसील हिण्डौन
जिला करौली राजस्थान

—वादीगण-02

बनाम

जिला कलक्टर जिला करौली

—प्रतिवादीगण-21

दावा बाबत तकास्मा, इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 12-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एव वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एव वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एव वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एव वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे है। अतः मुकदमा न0 21/2006 रामेश्वर बनाम सरकार अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को खुले न्यायलय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

